32

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक : 814-दो/2013 - विरूद्ध आदेश दिनांक 16-11-2012 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 87/2002-03 अपील

लल्लीराम पुत्र भईयादीन पटैल
ग्राम मतवारा थाना अमदरा
तहसील मेहर जिला सतना ---अपीलांट

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ----रिस्पाण्डेंट

(अपीलांट के अभिभाषक श्री शिवराज सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 19-06-2018 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 87/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-11-2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है

2/ प्रकरण का सारॉश यह है पटवारी हलका मतवारा - 11 वृत्त अमदरा तहसील मेहर ने नायव तहसीलदार वृत्त अमदरा तहसील मेहर को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलांट ने ग्राम मतवारा की आराजी कमांक 368

रकबा 0.042 आरे के हिस्सा 30X15 फुट पर नींव खोदकर अतिक्रमण किया है । नायव तहसीलदार वृत्त अमदरा तहसील मेहर ने अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 107 अ 68/2000-2001 पंजीबद्ध किया तथा कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया । अपीलांट ने उपस्थित होकर बचाव प्रस्तुत किया। नायव तहसीलदार ने अपीलांट को सुनकर आदेश दिनांक 30-7-2001 पारित किया तथा अपीलांट पर अतिक्रमण करना प्रमाणित होने से रू. 1000/- अर्थदण्ड अधिरोपित करके बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी मेहर के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी मेहर ने प्रकरण क्रमांक 36/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-3-2002 से अपील निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी मेहर के इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 87/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-11-2012 से अपील खारिज करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश यथावत् रखे। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह तीसरी अपील इस न्यायालय में दिनांक 11-01-2013 को प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट के अभिभाषक ने तर्को के दौरान व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 14 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के साथ अभिलेख को रिकार्ड पर लेने का अनुरोध किया,जो प्रकरण में सामिल किये गये। अपीलांट के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में उनके व्दारा प्रस्तुत अपील मेमो के तथ्यों से एंव अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों से परिलक्षित है कि अपीलांट ने नायव तहसीलदार वृत्त अमदरा तहसील मेहर के आदेश दिनांक 30-7-2001 के विरूद्ध प्रथम अपील क्रमांक 36/2001-02 अनुविभागीय अधिकारी मेहर के समक्ष प्रस्तुत की है जो आदेश दिनांक 30-3-2002 से निराकृत है इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने दूसरी अपील क्रमांक 87/2002-03अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत की है जो आदेश दिनांक 16-11-12 से

निराकृत हुई है जिसके विरुद्व तीसरी अपील राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर में की है। अपीलांट के अभिभाषक ने अपील दायर करने के दिनांक 11-1-2013 से अंतिम बहस तक अपील को निगरानी में बदलने की प्रार्थना भी नहीं की है वैसे भी प्रकरण का पेटा पूर्ण होकर अंतिम बहस हो चुकी है जिसके कारण अपील को निगरानी में बदलकर निर्णीत करना दूसरे पक्ष को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार से बंचित करने की श्रेणी में माना जावेगा। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 में तीसरी अपील का प्रावधान नहीं है जिसके कारण विचाराधीन अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील प्रचलन-योग्य न पाये जाने से निरस्त की जाती है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर